

लाहौल-स्पति पद्धति पर आधारित छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में स्थित समस्त सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को निम्नानुसार देय होगी:-

कक्षा प्रथम से आठवीं तक	मु0 80 रू0 प्रति विद्यार्थी / वार्षिक (कक्षा प्रथम से आठवीं तक)
-------------------------	--

पात्रता शर्तें:-

1. लाभार्थी सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में जनजातीय क्षेत्र में स्थित किसी सरकारी पाठशाला में अध्ययनरत् रहा/रही हो।
2. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी का आधार नम्बर सम्बद्ध (**Aadhar seeded**) चालू बैंक खाता उपलब्ध होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज:-

1. इस आशय का प्रमाणपत्र की सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में लाभार्थी उसी सरकारी पाठशाला में अध्ययनरत् रहा/रही है जहां से उसने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया है।
2. इस आशय का प्रमाणपत्र की सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में लाभार्थी ने किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
3. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
4. चालू बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की, खाता संख्या एवं आईएफएस कोड सहित, सत्यापित छायाप्रति।



**Director
Elementary Education
Himachal Pradesh**